


गिरधारी - जि.शु.पा.न कि.डि.अ.सि.सु.कं. 39/17

दिनांक	आज्ञा पत्र	आपत्ति
--------	------------	--------

8-7-21

अपीलांत के आ-पत्र प्रकाश पेश हुई।

पत्रावली पेश। वकील अपीलांत ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांत से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांत नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गिरधारी

~~Not Press~~

पदनाम

अपीलांत

8-7-2021

